बिहार सरकार,
कृषि विभाग

पत्र सं०– DoH/SS/34/2025 - प्र०प्र०एस०- 109 - /कृ०, पटना दिनांक-13.10.2026

प्रेषक,

कल्पना कुमारी
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

#अनौपचारिक रूप से परामर्शित

#द्वारा– वित्त विभाग, बिहार, पटना।

विषय– **वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम मद से आलू के प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त प्रभेद लेडी रोसेटा का क्षेत्र विस्तार की योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल 488.08760 लाख (चार करोड़ अठ्ठासी लाख आठ हजार सात सौ साठ) रूपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के अन्तर्गत सृजित देयता के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में कुल 11.81282 लाख (ग्यारह लाख इक्कासी हजार दो सौ बयासी) रूपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : **स्वीकृत।**

वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम मद से आलू के प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त प्रभेद लेडी रोसेटा का क्षेत्र विस्तार की योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल 488.08760 लाख (चार करोड़ अठ्ठासी लाख आठ हजार सात सौ साठ) रूपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के अन्तर्गत सृजित देयता के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में कुल 11.81282 लाख (ग्यारह लाख इक्कासी हजार दो सौ बयासी) रूपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–DoH/SS/34/2025- 103 दिनांक 06.08.2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम मद से आलू के प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त प्रभेद लेडी रोसेटा का क्षेत्र विस्तार की योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल 488.08760 लाख (चार करोड़ अठ्ठासी लाख आठ हजार सात सौ साठ) रूपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वकृति प्रदान की गयी है। योजनान्तर्गत कोषागार द्वारा विपत्र पारित नहीं होने के कारण कुल 11.81282 लाख (ग्यारह लाख इक्कासी हजार दो सौ बयासी) रूपये की निकासी नहीं की जा सकी। उक्त सृजित देयता की राशि के भुगतान हेतु इस स्वीकृत्यादेश द्वारा कुल 11.81282 लाख (ग्यारह लाख इक्कासी हजार दो सौ बयासी) रूपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी जा रही है। अतएव यह चालू योजना है।

3. आलू के लेडी रोसेटा प्रभेद के क्षेत्र विस्तार से संबंधित योजना/कार्यक्रम राज्य के कुल 17 जिलों यथा– औरंगाबाद, बाँका, बेगूसराय, भागलपुर, गया, गोपालगंज, कटिहार, खगड़िया, लखीसराय, नालन्दा, नवादा, पटना, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, सिवान एवं वैशाली में कार्यान्वित कराया गया है।

4. योजनान्तर्गत उत्तरदेयता की राशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जाती है कि राज्य स्कीम मद से वित्तीय वर्ष 2025–26 में आलू के प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त प्रभेद लेडी रोसेटा का क्षेत्र विस्तार की योजना के तहत् कोई भी देयता राशि शेष नहीं है तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरांत ही राशि का भुगतान करेंगे। योजना के देयता का भुगतान कार्यान्वयन अनुदेश के अनुरूप कार्य किया गया है या नहीं, उसके जाँचोपरांत ही नियमानुसार किया जायेगा। किसी भी तरह के गलत भुगतान के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।

5. योजना अन्तर्गत देयता के भुगतान हेतु आवश्यक राशि की श्रेणीवार विवरणी अनुसूची–1 के रूप में संलग्न है।

6. योजना अन्तर्गत स्वीकृत राशि की निकासी अनुसूची–1 के अनुसार संबंधित जिला उद्यान पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए संबंधित जिला के कोषागार से BTC Form - 25 पर CFMS 2.O के माध्यम से किया जायेगा।

7. योजना कार्यान्वयन के क्रम में यथावश्यक संशोधन प्रशासी विभाग द्वारा वित्तीय सीमा के अधीन किया जायेगा।

8. महालेखाकार (ले० एवं ह०) को अंकेक्षण का अधिकार होगा।

9. योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी निदेशक उद्यान, बिहार होंगे।

10. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–DoH/SS/34/2025– 103 दिनांक 06.08.2025 की शेष कंडिकाएं एवं शर्तें यथावत रहेगी।

11. वित्तीय वर्ष 2026–27 में बजट उपबंध का विवरण निम्न प्रकार है :–

(राशि लाख रू० में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि–कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–119–बागवानी तथा वनस्पति फसलें, मांग सं०–01, उपशीर्ष–0101–उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड–01–2401001190101, विषय शीर्ष–0101.33.01 सब्सिडी।	10916.400	9.37439
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि–कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग सं०–01, उपशीर्ष–0130, उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड–01–2401007890130, विषय शीर्ष–0130.33.01, सब्सिडी।	2112.000	2.43843
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि–कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, मांग सं०–1, उपशीर्ष–0152–उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड–01–2401007960152, विषय शीर्ष–0152.33.01, सब्सिडी।	171.600	0.00
योग	**13200.00**	**11.81282**

12. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888/वि० दिनांक–03.12.2014 एवं पत्रांक–201 दिनांक–13.03.2025 में निहित प्रावधान के आलोक में चालू योजना के रूप में योजना प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर माननीय मंत्री कृषि का अनुमोदन संचिका संख्या– DoH/SS/34/2025 के पृष्ठ संख्या–40/टि० पर दिनांक–08.10.2026 को प्राप्त है।

13. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

14. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या DoH/SS/34/2025 के पृ0सं0–38/टि. पर दिनांक–05.10.2026 को प्राप्त है, जिसका डायरी संख्या–689 दिनांक–05.10.2026 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

13/10

(कल्पना कुमारी)
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : DoH/SS/34/2025 - प्र०प्र० एस०- 109 - /कृ०, पटना दिनांक 13.10.2026

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/10

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : DoH/SS/34/2025 -पी०पी०एम०- 109- /कृ०, पटना दिनांक-13.10 ,2026

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/10

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : DoH/SS/34/2025 -पी०पी०एम०- 109- /कृ०, पटना दिनांक-13.10,2026

प्रतिलिपि : प्रमंडलीय आयुक्त, भागलपुर, गयाजी एवं दरभंगा/जिला पदाधिकारी, बांका, गयाजी एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/10

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : DoH/SS/34/2025 -पी०पी०एम०- 109- /कृ०, पटना दिनांक-13.10,2026

प्रतिलिपि : जिला कोषागार पदाधिकारी, बांका, गयाजी एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/10

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : DoH/SS/34/2025 -पी०पी०एम०- 109- /कृ०, पटना दिनांक-13.10,2026

प्रतिलिपि : माननीय कृषि मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना /निदेशक, बामेति, पटना/संबंधित प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/संबंधित प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक उद्यान/संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी/संबंधित जिला उद्यान पदाधिकारी/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं कृषि निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/10

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : DoH/SS/34/2025 -पी०पी०एम०- 109- /कृ०, पटना दिनांक-13.10,2026

प्रतिलिपि : उप निदेशक (शष्य), सूचना, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित पदाधिकारियों तथा कोषागार पदाधिकारी को ई–मेल से भेजने हेतु प्रेषित।

13/10

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

अनुसूची–1

राज्य स्कीम मद से वित्तीय वर्ष 2025–26 में आलू के प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त प्रभेद लेडी रोसेटा का क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 में देयता भुगतान हेतु जिलावार एवं श्रेणीवार वित्तीय लक्ष्य

(भौतिक हेक्टेयर में एवं वित्तीय लाख रूपये में)

क्र. सं.	जिला/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	देयता की राशि			
		सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल
1	2	3	4	5	6
1	जिला उद्यान पदाधिकारी, बाँका	2.36400	0.56000	0.00000	2.92400
2	जिला उद्यान पदाधिकारी, गयाजी	5.92875	1.53000	0.00000	7.45875
3	जिला उद्यान पदाधिकारी, समस्तीपुर	1.08164	0.34843	0.00000	1.43007
	कुल	**9.37439**	**2.43843**	**0.00000**	**11.81282**

(ग्यारह लाख इक्कासी हजार दो सौ बयासी)

पवन कुमार

निदेशक उद्यान, बिहार।
(अभिषेक कुमार)